

67

97

37087



सिद्ध



शिवराज

गंगा

नगर

सहायक जिला दफ्तर
बिलासपुर नगर

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन

86,084.00 रुपये।

स्टाम्प पेपर - प्रशंगत भूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन में कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-893/ ग्यारह-2010-500-(83)-2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था के अनुसार संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कन्सर्शियम क्रेता स्टैम्प ड्यूटी से छूट के लिये पात्र है।

मैं कि मकखनस्वरूप पुत्र श्री नौरंग निवासी ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अवल, विक्रेता)।

मैसर्स उषल बहल हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा ब्रिगेड डी.एच.डी. कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत दस्तावेजी (फरीक योग/क्रेता)।

मकरचंद्रन

मकखनस्वरूप



विक्रय पत्र

86,084.00 / 87,000.00 870.00 20 890.00 1,000
प्रतिफल भागित फर्म एजिडं नकल व प्रति शुल्क श्रेण अथ लगभग

पुत्र श्री मैसर्स उम्पल चढडा हाईटेक डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा ब्रजेश बिष्ट
व्यवसाय अन्य डी०एस०विष्ट
निवासी धारा कम्प्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली
अर्थात् फता
ने यह संवत् १९९९ ईस कार्यालय में दिनांक ११/९/२०१३ मध्य ३:२९PM
यजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेन्द्र कुमार प्रभारी
उप निबन्धक दादरी
दादरी

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. पलेखानसार उक्त
विक्रेता

क्रेता

११/९/२०१३

श्री मकखनस्यरूप मकरवरीर-११
पुत्र श्री नीरं पेशा अन्य
निवासी दुरियाई दादरी जि० गौ०नु०नगर

मैसर्स उम्पल चढडा हाईटेक डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा
ब्रजेश बिष्ट
पुत्र श्री डी०एस०विष्ट
पेशा अन्य
निवासी कम्प्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली

ने निष्पादन स्वीकार किया

जिनकी पहचान श्री सचिन

पुत्र श्री मकखनस्यरूप

पेशा अन्य

निवासी दुरियाई दादरी जि० गौ०नु०नगर

व श्री विपिन

पुत्र श्री महकार

पेशा अन्य

निवासी दुरियाई दादरी जि० गौ०नु०नगर

ने की।

प्रत्यक्षतः रुद ताशियों के निशान अंगूठे नियमनुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेन्द्र कुमार प्रभारी
उप निबन्धक दादरी
दादरी

११/९/२०१३

(2)

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 203 के खसरा नं० 181मि० रकबा 1.1620 हैक्टे० के 1/4 भाग यानि 0.2905 हैक्टे० प्रथम पक्ष मालिक है। और अपने हिस्से में से 0.0060 हैक्टे० का बैनामा कर रहा है। अनुसार खतौनी 1417-1422 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 1,25,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200.00 प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 86,084/- रुपये (छियासी हजार चौरासी रुपये मात्र) में तय है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

अ+रभनर-वप



12-0

विक्रेता

Registration No.: 18368

Year: 2013

Book No.: 1

0101 मकरानरवरूप

मकरानरवरूप

→ -तिरंग

दुरियाई दादरी जि० गोंडवुडनगर

अन्य



(3)

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक गुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, मार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आरु, रहन, बय, हिबे, सहायदाबय व जगानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का झूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लग्बित है।

(6) विक्रीत मिलिकयत उक्त के विक्रय में कोई दोष व नुटी नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखत भूमि के संबध में गुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यागित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

मेजर व नरवय



1/1/1

(4)

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त भूमि खाता नं० 203 के खसरा नं० 181मि० रकबा 1.1620 हैक्टे० के 1/4 भाग यानि 0.2905 हैक्टे० प्रथम पक्ष मालिक है। और अपने हिस्से में से 0.0060 हैक्टे० स्थित ग्राम दुरियाई परगना डासना तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर उसके हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समुझति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किरग कब्जा मर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन— 86,084/- रुपये (छियासी हजार चौरासी रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 43,042/- रुपये (तीतालीस हजार बयालीस रुपये मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल बद्धा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा ~~अधिकृत फरीक दोयम क्रेता~~ 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)। अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बेच कर दिया है यानि कटाई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते हैं, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

24-2-2024



7/1

(5)

(10) अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कगी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दायेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जें खर्चें प्रथम पक्ष विक्रेतागण व विक्रेतागण वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

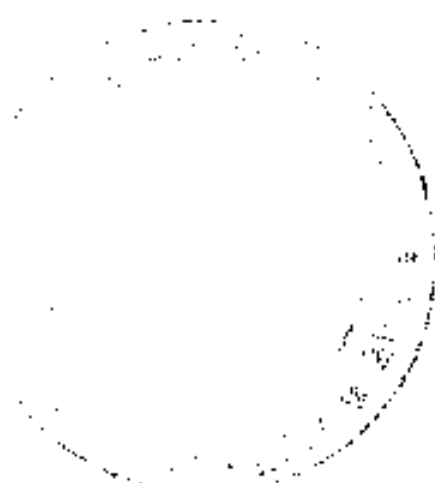
(12) विक्रय पत्र का रागस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

मकरबगरबप



11.11



(6)

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि एकबई 0.0060 हैक्टेयर, खाता नं० 203 के खसरा नं० 181गि० स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय घनराशी प्राप्त कर ली है:-

(15) यश बैंक लि० नई दिल्ली का चैक नंबर 027698 अंकन 86,084/ रुपये (छियासी हजार चौरासी रुपये मात्र) दिनांकित 04.09.13 फरीक अख्तल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

प्रकरवकतव

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अख्तल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अं
फरीक दोयम (क्रेता)



गवाह नं० 1 सच्चिन चौधरी पु० श्री मन्मथन स्वरूप
सच्चिन चौधरी नि. दुरियाई दादरी

गवाह नं० 2 विपिन कुमार पु० श्री महकार सिंह
विपिन कुमार नि. दुरियाई दादरी

(प्रकरवकतव)

तहसील दिनांक :



(हस्ताक्षर)

आज दिनांक 11/09/2013 को

वही सं 1 जिल्द सं 6011

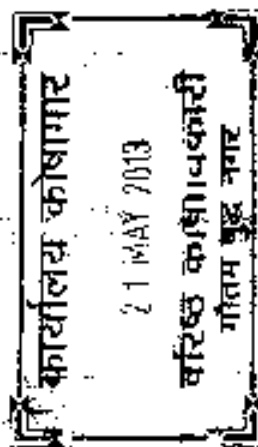
पृष्ठ सं 19 से 28 पर कर्मांक 18368

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


सुरेन्द्र कुमार प्रभारी
उप निबन्धक दादरी
दादरी

11/9/2013



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 21/5/13 स्थान दादरी में
 श्री श्री. राजेश कुमार पुत्र/पति श्री. श्री
 निवासी ग्राम दुरिया परगना दादरी तहसील दादरी
 जिला गोरखपुर

प्रथम पक्ष

एवं

मै 0 जिलाधिकारी, जिला गोरखपुर पंजीकृत
 कार्यालय 33 कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा
 पुत्र श्री. राजेश कुमार

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम दादरी परगना व तहसील दादरी
 जिला गोरखपुर में स्थित भूमि खाता सं० ... खसरा सं० ...
 कुल रकबा ... हैक्टर (अपने सम्पूर्ण गांव) का
 संप्रदायीय भूमिधार मालिक, कानिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
 दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं
 है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
 कोई केस नहीं चल रहा है।

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्ज सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बही सं० के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु०/- द्वारा चैक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. प्रति वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु. द्वारा चैक सं० दिनांक बैंक से प्राप्त कर लिये है।

प्रकरण २५

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

४४२५११२५५

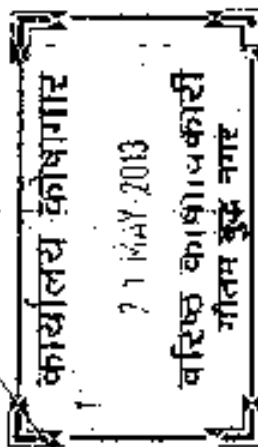
प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समझौता पत्र

मैं कि पुत्र/पति
निवासी
प्रथम पक्ष

एवम

मैसर्स उमाल चंदड़ा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि०, 33, कम्युनिटी सेंटर, न्यू फेन्डस कालोनी,
नई दिल्ली द्वारा पुत्र श्री अधिकृत नरताक्षरी
द्वितीय पक्ष।

निवेदित हो कि प्रथम पक्ष ने अपनी भूमि स्थित ग्राम परगना
तहसील व जिला गाजियाबाद का खारा सं० के खारा नं०
रकबा हैक्टे० का बैनागा द्वितीय पक्ष के पक्ष में
कर रहा है। उक्त बैनाग में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की सहमति से आबादी के लिये
रकबा हैक्टे० छोड़ के बैनागा किया गया है उक्त छोड़े गये रकबे के सम्बन्ध में
दोनों पक्षों की सहमति से यह समझौता पत्र निम्नादिष्ट किया जा रहा है जिसकी शर्तें निम्न
हैं।

1. यह कि बैनाग में आबादी के लिये छोड़ा गया रकबा दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष भविष्य में आबादी के लिये छोड़े गये रकबे के बदले में प्रथम पक्ष को
अपनी योजना क्षेत्र में कहीं भी आबादी दे सकता है प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

हस्ताक्षर

(2)

3. यह कि आबादी के लिये बैनामें में छोड़े के रकबे और मौके पर दिये जाने वाले रकबे में यदि कोई अंतर होगा तो उसका मूल्यांकन आज के मूल्य के अनुसार दोनों पक्षों को मान्य होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा भविष्य में प्रथम पक्ष का आबादी के लिये जो रकबा दिया जायेगा उसके अन्तर्ण के लिये होने वाली EXCHANGE DEED या किसी प्रकार के दस्तावेज को निष्पादित करने के लिये प्रथम पक्ष बाध्य होगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने में कोई हिला हवाली की जाती है तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत उक्त बैनामा निष्पादित करा लें।
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उक्त बैनामें में छोड़े गये रकबे के बदले में जो आबादी दी जानी है उसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह पूर्णतः द्वितीय पक्ष के उपर निर्भर करता है। प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा।
6. यह कि उक्त समझौता पत्र की समस्त शर्तें दोनों पक्षों को मान्य होगी इसमें किसी भी प्रकार का फेर बदल करने का अधिकार किसी पक्ष को नहीं होगा।

अतएव यह समझौता पत्र समस्त गवाहन लिख दिया ताकि सनद रहे और भविष्य में काम आवें।

मनरथन लाल

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह नं० 1

गवाह नं० 2

दिनांक : तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।

मेका

साक्षा प्रमाणपत्र

उपरोक्त शाखीलासर्वेक्षण
राज्य

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के समक्ष में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी/प्रार्थी यण ने अपनी भूमि जिराका
खाता संख्या 202 खसरा नम्बर 181 रकबा 60 स्थित ग्राम ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~
परगना ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ व तहसील ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ जिला ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~
। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में उपलब्ध चढवां हाईटैक डेवेलपर्स प्रा० लि०
को देवना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की
आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

अ. ख. र. ब. र. 5/6 नैराज

नि. - तुरिमा

No. 12
Singh